



uttarakhandwaqfboard.uk.gov.in
E-mail-ceouk@wakf.gov.in

उत्तराखण्ड वक्फ बोर्ड

अल्पसंख्यक कल्याण भवन, भगत सिंह कालोनी, देहरादून 248001

पत्रांक:- 353 /उ0व0बोर्ड/ E-124858(1023/25)/ 2025-26

दिनांक-09 जून, 2025

आवश्यक सूचना

उत्तराखण्ड राज्य में समस्त वक्फ सम्पत्तियों के बोर्ड में पंजीकृत/अपंजीकृत मुतवल्लियों/प्रबन्ध समितियों/प्रशासक को सूचित किया जाता है, कि वक्फ संशोधित अधिनियम, 2025 दिनांक-08 अप्रैल, 2025 से प्रभावी हो गया है। जिसके अनुसार समस्त वक्फ सम्पत्तियों को वक्फ पोर्टल पर मुतवल्लियों द्वारा दर्ज किया जाना है। जिसका लिंक—https://minorityaffairs.gov.in/show_content.php?lang=1&level=0&ls_id=935&lid=1163 है। जो कि वक्फ बोर्ड की वैबसाईट uttarakhandwaqfboard.uk.gov.in पर भी उपलब्ध है। वक्फ पोर्टल के लिए शीघ्र ही जनपदवार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के क्रम में समस्त मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति/प्रशासक को निर्देशित किया जाता है कि निम्न प्रारूप में सुस्पष्ट सूचनाएँ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

वक्फ संख्या एवं जिला	वक्फ का नाम	मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति/प्रशासक का मोबाईल नम्बर	मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति/प्रशासक की ईमेल आईडी।	मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति/प्रशासक का पूर्ण पता।	अन्य विवरण

Digitally signed by
SYED SHIRAZ USMAN
Date: 09-06-2025
21:40:46

(एस.एस. उस्मान)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी।

पृष्ठांकन संख्या:- 353 तददिनांक।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, केन्द्रीय वक्फ परिषद, नई दिल्ली।
2. सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
3. सम्पादक, दैनिक जागरण, अमर उजाला, हिन्दुस्तान को इस आशय के साथ कि उपरोक्त सूचना को गढ़वाल एवं कुमायू संस्करणों में 10X12 सेमी के क्रॉलम में शासकीय दरों पर प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
4. सम्बन्धित पटल सहायक को इस निर्देश के साथ कि उपरोक्त सूचना को विभागीय वैबसाईट पर भी प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करें।

मुख्य कार्यपालक अधिकारी।